FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0268   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 11/10/2025 11:46 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 08/10/2025   Date To (दिनांक तक): 09/10/2025

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 14:00 बजे   Time To (समय तक): 19:42 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 11/10/2025   Time (समय): 09:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 11/10/2025 11:46:46 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 04 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): 09, VASUNDHARA COLONY,, TONK ROAD,JAIPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): MUKESH AGARWAL

(b) Father's Name (पिता का नाम): KRISHAN KUMAR AGARWAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1979 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	A 658, VIDYUT NAGAR,AJMER ROAD, JAIPUR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	A 658, VIDYUT NAGAR,AJMER ROAD, JAIPUR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DR.MANISH AGARWAL		पिता:LET. MANAKCHAND AGARWAL	1. 09,VASUNDHARA COLONY,TONK ROAD,JAIPUR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
2	JAGAT SINGH		पिता:SHIVRAM SINGH	1. H 667,GANDHINAGAR,BAJAJ NAGAR,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,00,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,00,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 08.10.2025 को परिवादी श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल निवासी 658, विद्युत नगर-ए, अजमेर रोड, जयपुर ने श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर के मार्फत एक लिखित रिपोर्ट इस आषय की पेष की कि "प्रार्थी मुकेश अग्रवाल निवासी ए-658, विद्युत नगर, अजमेर रोड जयपुर, मैसर्स सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर्स (345, कुसुम विहार, जगतपुरा) का अधिकृत प्रतिनिधि है। मेरी फर्म एसएमएस होस्पीटल में एक रेट कोन्ट्रेक्ट नं 1177 एफ-52/एसएमएसएच/सीएमएस/2022 दिनांक 26.03.2022 एगेन्सट टेण्डर एनआईबी नम्बर 1324 दिनांक 24.04.2021 हो रखा है। जिसके तहत मेरी फर्म द्वारा न्यूरोसर्जरी विभाग में ब्रेन में काम में आने वाली इम्पलांट एवं एसेसरीज होस्पीटल में आवश्यकतानुसार मरीजों के लिये सप्लाई की जा रही है। सप्लाई किये गये आईटम के बिलों के भुगतान के लिये विभाग से डा0 मनीष अग्रवाल के अप्रुवल हस्ताक्षर की जरूरत होती है। हमारी फर्म के पिछले दो महिने के बिल डा0 मनीष अग्रवाल द्वारा साईन नहीं किये गये है। एसएमएस होस्पीटल जयपुर में हमारी फर्म के बिलों का काम देखने वाले कर्मचारी श्री गिर्राज शर्मा ने मुझे गताया कि डा0 मनीष अग्रवाल ने अपने आपको व्यक्तिगत रूप से मिलने बुलाया है। डा0 मनीष अग्रवाल से मिलने के बाद में ही बिल साईन होंगे। इस पर मैं दिनांक 06.10.2025 को एसएमएस होस्पीटल जयपुर गया तो डा0 मनीष अग्रवाल अपने चेम्बर में नहीं थे तब मैंने उनको उनके मोबाईल नम्बर[redacted] पर मेरे मोबाईल नं.[redacted] से व्हाट्स एप्प काल कर मिलने के लिये आना बताया तो उन्होंने मुझे दो दिन बाद मिलने के लिये कहा। इसी दौरान वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों ने बताया कि डां मनीष अग्रवाल बिना भेंट पूजा के काम नहीं करते है। इसलिये आपको मिलने के लिये बुलाया है। चूंकि डा मनीष अग्रवाल पैसे लेने के लिये मुझे मिलने बुला रहे है पैसे लेकर ही डा मनीष अग्रवाल हमारी फर्म के बिलों की अप्रुवल करने वाले है। मैं डा0 मनीष अग्रवाल को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मैं डा मनीष अग्रवाल को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। डा मनीष अग्रवाल से मेरी कोई रंजिश नहीं है और उधार का कोई लेनदेन भी नहीं है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।" तत्पष्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन, प्रस्तुत दस्तावेजात तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया गया, जिसका ट्रेप कार्यवाही से पूर्व सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी ने बताया है कि उसके द्वारा फोन पर सम्पर्क करने पर संदिग्ध अधिकारी द्वारा मिलने के लिये बुलाकर रिश्वत की मंांग की जावेगी जिसकी पुष्टि के लिये परिवादी की संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करवाई जानी आवश्यक है। जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्री सुभाष हैडकानि0 35 को तलब कर विभागीय डिजीटल वाॅयस रिकार्डर तथा खाली मेमोरी कार्ड मंगवाया गया। श्री सुभाष हैडकानि0 तथा परिवादी श्री मुकेश अग्रवाल का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी के समक्ष विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर में एक नया खाली मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी डालकर विभागीय मेमोरी कोर्ड तथा डिजीटल वायस रिकार्डर का खाली होना सुनिश्चित कर परिवदी को विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर के संचालन की विधि की आवश्यक समझाईस की गई। तत्पश्चात परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हेतु परिवादी के मोबाईल नम्बर[redacted] से संदिग्ध अधिकारी डा श्री मनीष अग्रवाल के मोबाईल नम्बर[redacted] पर जरिये व्हाट्स एप्प काल कर परिवादी के फोन को स्पीकर मोड पर वार्ता करवाई जाकर होने वाली वार्ता को विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया। संदिग्ध अधिकारी द्वारा वार्ता में परिवादी को अपने कार्यालय का पता बताकर मिलने के लिये बुलाना पाया गया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी डा मनीष अग्रवाल मिलने के लिये अपने कार्यालय में बुला रहा है वह वहीं पर मेरे से रिश्वत की मांग करेगा। जिस पर पुनः परिवादी को डिजीटल वायस रिकार्डर के संचालन की विधि समझाईस कर गोपनीय सत्यापन के बारे में हिदायत दी गई। तत्पश्चात परिवादी एवं श्री सुभाष हैडकानि0 35 को मामले की गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर रिश्वत मांग सत्यापन

हेतु रवाना किया जाकर मामले का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन वार्ता में परिवादी द्वारा संदिग्ध अधिकारी से अपने बिलों के सम्बंध में वार्ता करने पर संदिग्ध अधिकारी द्वारा बिलो पर हस्ताक्षर करने की एवज में परिवादी को अपनी इच्छा एवं मर्जी से देने के लिये कहकर रिश्वत की मांग किया जाना तथा एक लाख रूपये लेने पर सहमत होना पाया गया। जिस पर परिवादी को कल दिनांक 09.10.2025 को संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिष्वत राषि की व्यवस्था कर कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत की गई।दिनांक 09.10.2025 को परिवादी श्री मुकेश अग्रवाल तलबिदा कार्यालय में उपस्थित आया। मामले में अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व से तलबिदा स्वतंत्र गवाहान श्री नितीन कुमार पुत्र श्री पूरणचन्द जाति ब्राह्मण उम्र 28 साल निवासी ग्राम नारेडा कलां, तहसील बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड हाल वरिष्ठ लेखाकार कार्यालय महाप्रबंधक वित्त, डाक लेखा विभाग, झालाना डूंगरी, जयपुर एवं श्री प्रवीण कुमार शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा उम्र 32 साल निवासी ग्राम पोस्ट देलाडी तहसील बसवा जिला दौसा हाल मल्टी टास्किंग स्टाफ, कार्यालय महाप्रबंधक वित्त, डाक लेखा विभाग, झालाना डूंगरी, जयपुर उपस्थित आये। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीय ट्रेप कार्यवाही के आयोजन के बारे में अवगत कराकर परिवादी श्री मुकेश अग्रवाल से परिचय करवाकर गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के तौर पर उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही गई तो दोनों ही स्वतंत्र गवाहान ने स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर दोनों स्वतत्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को पढाया गया। तत्पश्चात दोनों गवाहान से परिवादी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये।इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के बारे में कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से रिश्वती राशि 1,00,000/-रूपये, जिनमें पांच-पांच सौ रूपये के 200 (100-100 नोटों की दो गड्डियों में) नोट (भारतीय चलन मुद्रा के) कुल एक लाख रूपये निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस को पेश किये। तत्पश्चात् उक्त समस्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया। तत्पश्चात एक सफेद कागज के लिफाफे की व्यवस्था की गई। कार्यालय में उपस्थित श्री ओमप्रकाश, वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त पांच-पांच सौ रूपये के 200 नोटों (भारतीय चलन मुद्रा के) तथा सफेद कलर के लिफाफे पर श्री ओमप्रकाश, वरिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात् उक्त समस्त नोटों (100-100 नोटों की दो गड्डियो को) को सफेद कलर के लिफाफे में रखवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व टीम सदस्यों को फर्द दृष्टान्त की कार्यवाही की आवश्यक समझाईस करवाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पावडर मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।तत्पश्चात परिवादी श्री मुकेश अग्रवाल संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल नम्बरों से परस्पर हुई वार्ता से संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी को रिष्वत राषि लेकर शाम सात बजे अपने घर वसुन्धरा कालोनी, टोंक रोड, जयपुर बुलाने पर की कहने पर उपरोक्त मौतबिरान एवं समस्त ट्रेप पार्टी को आवश्यक हिदायत मुनासिब कर परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुये ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी को आवश्यक हिदायत मामूर कर श्री सुभाष हैडकानि0 35 एवं गवाह श्री प्रवीण कुमार शर्मा के साथ उसकी स्वयं की गाडी आरजे आरजे 45 सीवाई 2727 से संदिग्ध अधिकारी के बताये अनुसार उसके घर वसुन्धरा कालोनी, टोक रोड, जयपुर हेतु रवाना किया। उनके पीछे-पीछे मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री नितीन कुमार एवं टैप पार्टी सदस्य श्री अमित हैडकानि0, श्री कमलेश हैडकानि0, श्री हिम्मत सिंह कानि0 560, श्री योगेश कुमार कानि0 202, श्री दिपेन्द्र सिंह कानि0 365, श्री धर्मसिंह कानि0 249, श्री महेन्द्र कुमार कानि0 372 श्री हिमांशु वरिष्ठ सहायक, श्रीमति निधि महिला कानि0 86 मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप कम्प्यूटर प्रिन्टर, विभागीय कैमरा एवं आवश्यक सामग्री तथा वाहन सरकारी मय चालक के वसुन्धरा कालोनी, टोंक रोड, जयपुर के लिये रवाना हुआ।तत्पश्चात समय 07.30 पीएम पर परिवादी श्री मुकेश अग्रवाल ने टोंक रोड से अपनी गाडी वसुन्धा कालोनी की तरफ घुमाकर एक गली के कार्नर पर जाकर रोक दी। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने भी अपना सरकारी वाहन गली में खडा करवाया तथा परिवादी के पास पहुंचा। श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी अपने राजकीय वाहन से उपस्थित आये। जहां पर परिवादी ने संदिग्ध अधिकारी श्री मनीष अग्रवाल के मकान की तरफ इशारा कर बताया कि वो संदिग्ध अधिकारी का मकान है तथा सम्भवतया वह अपने चेम्बर, जिसमें वह आये हुये पेशेन्टों को चिकित्सकीय परामर्श देता है, में ही मुझसे वार्ता करेगा तथा रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। उसके चेम्बर के बाहर पेशेंटों के बैठने के लिये कुसी लगी हुई है इसलिये एक व्यक्ति मेरे साथ में जायेगा तो कोई शक नहीं होगा। जिस पर श्री सुभाष हैडकानि0 35 को परिवादी के साथ रहकर संदिग्ध अधिकारी के चेम्बर के बाहर तक साथ में रहने की हिदायत की गई। तत्पश्चात परिवादी को पूर्व से सुपुर्दशुदा डिजीटल वायस रिकार्डर चालू करवाकर संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने हेतु संदिग्ध अधिकारी के वसुन्धरा कालोनी स्थित निवास स्थान हेतु रवाना किया तथा श्री सुभाष हैडकानि0 35 को परिवादी के बताये अनुसार उसके साथ में रहकर संदिग्ध अधिकारी के चेम्बर के बाहर निगरानी रखने की हिदायत कर परिवादी के साथ रवाना किया। परिवादी के पीछे-पीछे दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा हमराहियान जाब्ते को भी संदिग्ध अधिकारी के मकान के आस-पास रहकर निगरानी रखने की हिदायत कर रवाना किया। मन् निरीक्षक पुलिस भी संदिग्ध अधिकारी के मकान के आस-पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के पूर्व निर्धारित इशारे के इंतजार में मुकीम हुआ।परिवादी श्री मुकेष अग्रवाल ने डा. मनीष अग्रवाल के उपरोक्त निवास पर स्थित इनके चेम्बर से बाहर

निकलकर श्री सुभाष हैडकानि. नम्बर 35 को पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर श्री सुभाष हैडकानि. ने मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल परिवादी के ईषारे सूचित करने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री सुभाष हैडकानि. को संदिग्ध अधिकारी डा. श्री मनीष अग्रवाल को डिटेन करने की हिदायत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता के उक्त मकान के मुख्य द्वार पर पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री मुकेष अग्रवाल उपस्थित मिला, जिसने विभागीय डिजीटल वाॅयस रिकार्डर प्रस्तुत किया, जिससे विभागीय डिजीटल वाॅयस रिकार्डर लेकर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री मनीष अग्रवाल अपने घर के चेम्बर में बैठा है जिसने मुझसे रिष्वत राषि लेकर अपने बायी ओर के उपर के ड्रावर में रखी है। तत्पष्चात् परिवादी के साथ मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाप्ता व गवाहान के उपरोक्त मकान में प्रवेष किया। जहां मकान के अन्दर संदिग्ध अधिकारी के चेम्बर के गेट पर श्री सुभाष हैडकानि. एक व्यक्ति के साथ उपस्थित मिला, जहां पर श्री सुभाष हैडकानि 35 ने अवगत कराया कि परिवादी के इषारे उपरान्त संदिग्ध अधिकारी अपने चेम्बर से निकलकर जाने लगा तो मैंने संदिग्ध अधिकारी को रोके रखने के लिये अपने आप को मरीज होना बताया और चेम्बर में प्रवेष किया। इसी दौरान संदिग्ध अधिकारी ने मुझसे बीमारी के बारे में पूछा तो मैने कहा कि मरीज बाहर है। इस पर संदिग्ध अधिकारी अपने चेम्बर से बाहर जाने लगा तो मैंने अपना परिचय देकर संदिग्ध अधिकारी को रोके रखने का प्रयास किया और आपके आने का इन्तजार किया तो संदिग्ध अधिकारी ने जोर से आवाज देकर अपने कर्मचारियों को बुलाया। संदिग्ध अधिकारी के बुलाने पर चेम्बर आये एक कर्मचारी को संदिग्ध अधिकारी ने अपने ड्रावर से सफेद लिफाफा निकालकर ले जाने के लिये कहा। जिस पर मैने संदिग्ध अधिकारी तथा उक्त कर्मचारी को रोकने का प्रयास किया, इसी दौरान एक और कर्मचारी आ गया तथा मुझे रोकने लगा। चेम्बर में पहले आने वाले कर्मचारी ने संदिग्ध अधिकारी के कहे अनुसार ड्रावर से सफेद रंग का एक लिफाफा निकालकर अपने हाथों में लेकर अभी-अभी सिढियों से मकान की छत पर गया है, जिस पर हमराहियान जाब्ते में से श्री दीपेन्द्र सिंह कानि. व श्री हिम्मत सिंह कानि. को उक्त व्यक्ति को रोकने व नीचे लाने के लिये हिदायत कर भेजा। महिला कानि. श्रीमती निधि को भी ऊपर जाने की हिदायत की गई। परिवादी श्री मुकेष अग्रवाल ने श्री सुभाष हैडकानि0 के पास में खडे व्यक्ति की ओर ईषारा कर बताया कि यही संदिग्ध अधिकारी डाक्टर श्री मनीष अग्रवाल है, जिसने अभी-अभी मुझसे हमारी फर्म के पेण्डिंग बिलो पर हस्ताक्षर कर जारी करवाने की एवज में एक लाख रूपये अपने दाहिने हाथ में लेकर स्वयं के चेम्बर में सीट के बांयी ओर की ऊपर की ड्रावर में रखे हैं। इस पर संदिग्ध अधिकारी को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना विभागीय परिचय पत्र दिखाकर स्वयं का परिचय देकर संदिग्ध अधिकारी से अपना नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पता श्री मनीष अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री माणकचन्द अग्रवाल उम्र 53 साल निवासी मकान नम्बर 09, वसुन्धरा कालोनी, टोंक रोड, जयपुर हाल अतिरिक्त प्रिंसीपल, एसएमएस मेडिकल कालेज एवं विभागाध्यक्ष, न्यूरो सर्जरी विभाग, एसएमएस मेडिकल कालेज जयपुर होना बताया। संदिग्ध अधिकारी से अभी-अभी श्री मुकेष अग्रवाल से एक लाख रूपये प्राप्त करने के बारे में पूछा तो संदिग्ध अधिकारी ने कहा कि मैंने कोई पैसे नही लिये, ये मुझसे कल मिले थे और अपने पेण्डिंग बिलो के बारे में बात की थी अभी मैंने इनसे कोई राषि नही ली है। तत्पष्चात श्री सुभाष हैडकानि0 ने मकान के वंटिंग हाल में खडे एक व्यक्ति की आरे इषारा कर बताया कि यह व्यक्ति संदिग्ध अधिकारी के आवाज लगाने पर मेरे को आकर रोकने लगा था जिस कारण पहले वाला व्यक्ति लिफाफा लेकर भाग गया था। जिस पर वेटिंग हाल में खडे उक्त व्यक्ति नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री देवेन्द्र सेन पुत्र श्री भागचन्द सैन उम्र 45 साल निवासी प्लाट नम्बर 30, मंगलनगर, सिरसी रोड, पांच्यावाला, पुलिस थाना करणी विहार, जिला जयपुर होना बताया। जिसको श्री सुभाष हैड कानि0 को रोकने के सम्बंध में पूछने पर बताया कि मै डाक्टर साहब के यहा कर्मचारी रहा हूं और आज यहां आया था तो डाक्टर साहब ने मुझे रोक लिया था इसलिये मैं यहां पर बैठा था। डाक्टर साहब ने आवाज लगाई तब मैं चेम्बर में आया था। कई बार मरीज हाईपर होकर डाक्टर साहब से झगडने लगते है तो डाक्टर साहब हमें बुलाते है इसलिये मैंने मरीज समझकर इनको रोका था। इसी दौरान हमराहियान जाब्ता मकान के उपर के फ्लोर व छत से दो व्यक्तियों को लेकर आये, जिनमें से एक व्यक्ति को देखते ही श्री सुभाष हैडकानि0 35 ने बताया कि यही व्यक्ति है जो डा0 श्री मनीष अग्रवाल के बताये अनुसार एक सफेद लिफाफा ड्रावर से निकालकर भागा था। जिस पर उक्त व्यक्ति को मन् निरीक्षक पुलिस ने नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री जगत सिंह पुत्र स्व0 श्री षिवराम सिंह उम्र 42 साल निवासी एच-667, गांधीनगर, पुलिस थाना बजाजनगर, जयपुर होना बताया। जिसने पूछने पर बताया कि मैं डाक्टर साहब के पास पिछले 20 वर्षों से कार्य कर रहा हूं। मैं आने वाले मरीजों का नाम लिखने का काम करता हूं। तत्पष्चात् श्री जगत सिंह को अभी अभी डाक्टर साहब के चेम्बर में सीट के बांयी ओर के उपर के ड्रावर से सफेद कलर का लिफाफा लेकर जाने के बारे में पूछने पर श्री जगत सिंह ने कोई लिफाफा नहीं लेकर जाना बताया। तत्पष्चात् दूसरे व्यक्ति को नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री गिर्षित अग्रवाल पुत्र श्री मनीष अग्रवाल उम्र 20 साल निवासी उपरोक्त मकान होना बताया। तत्पष्चात् श्री सुभाष हैडकानि0 35 ने बताया कि श्री जगत सिंह झूठ बोल रहा है यह मेरे सामने संदिग्ध अधिकारी डा मनीष अग्रवाल के कहने पर ड्रावर से लिफाफा लेकर गया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री जगत सिंह को तसल्लीपूर्वक पूछा तो उसने लिफाफा लेकर जाने से पुनः इनकार किया। इसी दौरान हमराहियान जाब्ते के साथ आये दूसरे व्यक्ति श्री गिर्षित अग्रवाल ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं अभी थोडी देर पहले सिढियों से छत पर जा रहा था तभी श्री जगतसिंह ने मेरे को एक

लिफाफा देकर उसे बाहर फेंकने को कहा था तब मैंने द्वितीय फ्लोर पर जाकर बालकनी में खडे होकर पास के खाली पडे प्लाट में लिफाफा फेंक दिया है। जिस पर उक्त लिफाफे में रखी राषि के सम्बंध में पूछने पर श्री गिर्षित अग्रवाल ने बताया कि मुझे नहीं पता लिफाफे में क्या रखा था और मैंने लिफाफे में अन्दर क्या रखा है यह भी नहीं देखा। मैने जगतसिंह के बताये अनुसार उक्त लिफाफे को पास के खाली प्लाट में फेंक दिया। क्योंकि कई बार मरीजों की दवाईयों की खाली षिषीयों, पूरानी दवाईयों एव अन्य सामग्री को हम इधर ही फेंक देते है इसलिये मैंने सोचा यह भी यूजलेष सामग्री होगी इसलिये मैंने इसको उक्त प्लाट की तरफ फेंक दिया। तत्पष्चात् हमराहियान जाब्ते व स्वतंत्र गवाहान को बाद हिदायत श्री गिर्षित के साथ पास के खाली प्लाट में भेजकर रिष्वत राषि के लिफाफे को तलाष करने हेतु रवाना किया तथा डा मनीष अग्रवाल व श्री जगतसिंह को चेम्बर में ही बैठने की हिदायत कर श्री अमित हैडकानि0 मय जाब्ता को निगरानी हेतु सुपुर्द कर आवष्यक हिदायत मुनासिब की गई। मन् पुलिस निरीक्षक भी हमराहियान जाब्ता व गवाहान के श्री गिर्षित के बताये अनुसार पुष्टि हेतु पास के खाली प्लाट में पहुंचा, जहां गिर्षित ने अपने मकान के दूसरे फ्लोर की बालकनी की ओर इषारा कर बताया कि मैंने वहीं से उक्त लिफाफे को इस खाली प्लाट में फेंका था, जिस पर श्री गिर्षित के बताये अनुसार उसके द्वारा बताये गई सम्भावित जगह पर अंधेरा होने के कारण हमराहियान जाब्ता के मोबाईल फोनों की लाईट आन कर उक्त खाली प्लाट में उक्त लिफाफे की तलाष की गई तो हमराही जाप्ता में से श्री हिम्मत सिंह कानि0 560 ने 500-500 रूपये के नोटों की एक गड्डी प्लाट में पडी होना बताया, जिस पर उक्त नोटों की गड्डी के आस-पास ही लिफाफा तलाषने की हिदायत करने पर हमराहियान जाब्ता के श्री सुभाष हैडकानि0 35 ने प्लाट के बीचोंबींच सफेद कलर का लिफाफा पडा हुआ दिखाई देना बताया।प्लाट में पडे उक्त लिफाफे को देखकर श्री गिर्षित ने बताया कि इसी लिफाफे को मैंने बालकनी से फेंका था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसमें रूपये थे। तत्पष्चात् स्वतंत्र गवाह श्री प्रवीण कुमार शर्मा से उक्त प्लाट में पडे उक्त सफेद कलर के लिफाफे को उठवाया जाकर चैक करवाया गया तो उसमें 500-500 रूपये नोटों की एक गड्डी मिली। तत्पष्चात् लिफाफे से कुछ दूरी पर पडी 500-500 रूपये के नोटों की गड्डी को भी गवाह श्री प्रवीण कुमार शर्मा से उठवाया गया। चूंकि उक्त प्लाट में बहुत ज्यादा घास व कचरा होने तथा अंधेरा होने के कारण मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा गवाह श्री प्रवीण कुमार शर्मा को लिफाफा व बरामद राषि को सुरक्षित रखने की हिदायत कर हमराहियान जाब्ता, गवाहान व श्री गिर्षित के साथ उपरोक्त मकान में वापस आया। जहां पर संदिग्ध अधिकारी डा श्री मनीष अग्रवाल व श्री जगत सिंह जाब्ते के साथ उपस्थित मिले। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री जगतसिंह को श्री गिर्षित के समक्ष श्री गिर्षित को दिये गये लिफाफे के सम्बंध में पूछने पर श्री जगत सिंह पहले तो चूप हो गया फिर तसल्लीपूर्वक पूछने पर उसने बताया कि मुझे डाक्टर साहब ने अभी अपने ड्रावर से रूपयों का लिफाफा लेकर जाने के लिये कहा था इसलिये मैंने इनके कहे अनुसार इनके चेम्बर में सीट के बायch ओर के उपर के ड्रावर से रूपयों का लिफाफा लेकर सिढियों में श्री गिर्षित को देकर लिफाफे को बाहर फेंकने के लिये कहा था। जिस पर श्री जगतसिंह को अभी थोडी देर पहले संदिग्ध अधिकारी के ड्रावर से लिफाफ लेकर जाने के सम्बंध में पूछने पर इंकार करने के बारे में पूछा तो श्री जगत सिंह कुछ नहीं बोला तथा चूप हो गया। जिससे स्पष्ट होता है कि श्री जगत सिंह को उक्त लिफाफे में रिष्वत राषि के बारे में जानकारी थी। चूंकि परिवादी ने रिष्वत राषि लेन देन के समय संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिष्वत राषि का लिफाफा अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी सीट के बांयी ओर के उपर की ड्रावर में रखना बताया है जहां से संदिग्ध अधिकारी के कहने पर श्री जगत सिंह उक्त लिफाफा लेकर श्री गिर्षित को बाहर फेंकने हेतु देना पाया गया है। उक्त तथ्यों की पुष्टि हेतु सरकारी गाडी से पीने के पानी की बोतल तथा ट्रैप बाक्स मांगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासो में भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री मनीष अग्रवाल के दाहिने हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयार शुदा मिश्रण में आरोपी श्री मनीष अग्रवाल के बांये हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गधमेला हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्ड मोहर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात कांच के दो दूसरे गिलास मंगवाये जाकर उनमें पानी की बोतल से पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री जगत सिंह के दाहिने हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्री जगत सिंह के बांये हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात प्लास्टिक के दो डिस्पोजल गिलास मंगवाये जाकर उनमें पानी की बोतल से पानी

भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में श्री गिर्षित अग्रवाल के दाहिने हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयार शुदा मिश्रण में श्री गिर्षित अग्रवाल के बांये हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल को हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री जगत सिंह के बताये अनुसार आरोपी डा श्री मनीष अग्रवाल के चेम्बर की सीट के बांयी ओर के उपर के ड्रावर, जहां से आरोपी श्री जगत सिंह द्वारा रिष्वत राषि के लिफाफे को उठाया गया, उक्त स्थान का प्रक्रियानुसार एक सफेद कपडे की चिंदी से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। धोवन में उपयोग में ली गई कपडे की चिन्दी को सुखाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थेली में सील्ड मोहर कर मार्का अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात् आरोपी श्री मनीष अग्रवाल के पास के खाली प्लाट से बरामद रिष्वत राषि के नोटों को स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो प्लाट में बाहर पडी हुई गड्डी में 500-500 रूपये के कुल 100 नोट तथा सफेद रंग के लिफाफा में 500-500 रूपये के कुल 100 नोटों की गड्डी, कुल 1,00,000/- रूपये मय लिफाफा बरामद होना पाया गया। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये।तत्पश्चात आरोपी डा श्री मनीष अग्रवाल के मकान के पास के खाली प्लाट से बरामद रिश्वती राशि 1,00,000/-रू0, जो आरोपी डा श्री मनीष अग्रवाल द्वारा परिवादी श्री मुकेष अग्रवाल से लेकर अपनी सीट के बायी ओर के ड्रावर में रखना, आरोपी श्री जगत सिंह को उक्त रिष्वत राषि मय लिफाफे को ड्रावर से निकालकर लेकर जाने के लिये कहना, जिस पर आरोपी श्री जगत सिंह द्वारा रिष्वत राषि के लिफाफे को ड्रावर से निकालकर श्री गिर्षित अग्रवाल को देकर बाहर फिकवाना, श्री गिर्षित अग्रवाल द्वारा आरोपी श्री जगत सिंह के कहे अनुसार लिफाफा को बिना देखे पास के खाली प्लाट में फेंकना, जहां से रिष्वत राषि मय लिफाफा बरामद होना पाया गया है। जिस पर उक्त रिष्वत राषि मय सफेद रंग के लिफाफे को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया।तत्पष्चात् आरोपी डा0 श्री मनीष अग्रवाल की जामा तलाषी गवाह श्री प्रवीण कुमार से लिवाई गई तो आरोपी डा श्री मनीष अग्रवाल के पास में दो मोबाईल फोन मिले जिनमें एक मोबाईल फोन वन प्लस कम्पनी का 7 प्रो माडल, बरंग आसमानी जिसके आईएमईआई नम्बर [redacted] एवं [redacted] है जिसमें एक सीम जीयो कम्पनी की, जिसके नम्बर [redacted] है। उक्त मोबाईल फोन का पासवर्ड 5585 है। उक्त मोबाईल फोन में परिवादी श्री मुकेष अग्रवाल का मोबाईल नम्बर [redacted] Mukesh AGRAWAL Surya Distributor Balt नाम से सेव है। उक्त मोबाईल फोन के व्हाट्स एप्प काल लोंग में दिनांक 06.10.2025 को समय 13.39 पर, दिनांक 08.10.2025 को समय 15.11 व 15.55 पर तथा दिनांक 09.10.2025 को समय 18.11 पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से इनकमिंग व्हाट्स एप्प काल रिसीव होना पाया गया है। दिनांक 09.10.2025 को समय 19.41 पर आरोपी डा श्री मनीष अग्रवाल द्वारा परिवादी के उपरोक्त मोबाईल नम्बर पर Neuro Endoconeuro Endocon 2026 का मैसेज व्हाट्स एप्प करना पाया गया है।उक्त मोबाईल फोन में डाउनलोड व्हाट्स एप्प आरोपी डा श्री मनीष अग्रवाल के दूसरे मोबाईल नम्बर [redacted] से संचालित हो रहा है। उक्त मोबाईल नम्बर की सीम आरोपी के दूसरे मोबाईल आईफोन 15 प्रो मेक्स में संचालित है।उक्त आईफोन का माडल नम्बर एमयू7ए3एचएन/ए तथा सीरियल नम्बर सीएक्सक्यूवाईएल7आरएल67 है। जिसके आईएमआई नम्बर [redacted] तथा [redacted] है। जिसका पासवर्ड आरोपी की फेसआईडी व 558500 है। आरोपी ने बताया कि उक्त आईफोन मोबाईल के मोबाईल नम्बर [redacted] का व्हाट्स एप्प मैं दूसरे फोन वन प्लस 7 प्रो में उपयोग में ले रहा हूं। आरोपी डा श्री मनीष अग्रवाल के उपरोक्त मोबाईल फोन वन प्लस कम्पनी प्रकरण में बतौर वजह सबूत होने से कब्जा एसीबी लिया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में शिल्ड कर सम्ंबधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्का अंकित किया गया तथा दूसरे मोबाईल फोन आईफोन कम्पनी भी प्रकरण में बतौर वजह सबूत होने से कब्जा एसीबी लिया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में शिल्ड कर सम्ंबधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्का अंकित किया गया।मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी डा श्री मनीष अग्रवाल को चेम्बर में लगी सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने अपने चेम्बर में लगे डीवीआर की ओर ईषारा कर बताया कि यह डीवीआर है जिसमें पूरे मकान के सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग स्टोर होती है। चूंकि प्रकरण में रिष्वत लेनदेन आरोपी के चेम्बर में होने के कारण उक्त सीसीटीवी डीवीआर प्रकरण में बतौर वजह सबूत होने से डीवीआर को स्वतंत्र गवाहान के

समक्ष खुलवाकर पृथक से जरिये फर्द कब्जा एसीबी लिया गया।तत्पष्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी डा0 श्री मनीष अग्रवाल से परिवादी श्री मुकेष अग्रवाल के कार्य के सम्बंध में पूछने पर बताया कि इनकी फर्म के द्वारा उपलब्ध कराये गये सामान का बिल सम्बंधित डाक्टर्स से हस्ताक्षर करवाकर काउन्टर साईन के लिये कई बिलों को एकजाई कर (विभाग का एचओडी) होने से मेरे पास में लेकर आते है फिर मेरे साईन के पष्चात बिल सम्बंधित योजना के मद में चैक होने जाते है जहां से नियमानुसार अप्रुवल होते है। बिल देरी से प्रस्तुत करने पर अप्रुवल नहीं किये जाते है। इसलिये कई डिस्ट्रीब्यूटर्स दूसरे ही दिन हमारे से साईन करवाते है। इनकी फर्म से सप्लाई होने वाले सामान में कुछ समय से देरी होने के कारण मैने इनकी कम्पनी के मालिक को मिलने के लिये बुलाया था। इसलिये श्री मुकेष अग्रवाल फर्म का प्रतिनिधि होना बताते हुये मुझसे मुलाकात के लिये आया था। श्री मुकेष अग्रवाल की फर्म के कितने बिलों पर मेरे साईन बाकी है इसकी मेरे को अभी जानकारी नहीं है। मैं इनसे पहले कभी नहीं मिला हूं।अब तक की कार्यवाही से आरोपी डा.श्री मनीष अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री माणकचन्द अग्रवाल उम्र 53 साल निवासी मकान नम्बर 09, वसुन्धरा कालोनी, टोंक रोड, जयपुर हाल अतिरिक्त प्रिंसीपल, एसएमएस मेडिकल कालेज एवं विभागाध्यक्ष, न्यूरो सर्जरी विभाग, एसएमएस मेडिकल कालेज जयपुर द्वारा परिवादी श्री मुकेष अग्रवाल की फर्म सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर्स के बिलो पर साईन करने की एवज में परिवादी से दिनांक 08.10.2025 को रिष्वत मांग सत्यापन के समय 1,00,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ के तौर पर लेने हेतु सहमत होकर उक्त मांग के अनुसरण में आरोपी डा श्री मनीष अग्रवाल द्वारा परिवादी को अपने निवास स्थान पर बुलाकर आज दिनांक 09.10.2025 को परिवादी से उक्त कार्य की एवज में 1,00,000/- रूपये की रिष्वत राषि प्राप्त कर अपने मकान के चेम्बर की सीट के बांयी तरफ के उपर के ड्रावर में रखना तथा एसीबी टीम के आने पर रिष्वत राषि को खुर्द-बुर्द करने के आषय से आरोपी श्री जगत सिंह से उक्त ड्रावर से रिष्वती राषि युक्त लिफाफा उठवाकर लेकर भागकर जाने हेतु कहना तथा आरोपी श्री जगत सिंह पुत्र स्व0 श्री षिवराम सिंह उम्र 42 साल निवासी एच-667, गांधीनगर, पुलिस थाना बजाजनगर, जयपुर द्वारा आरोपी डा श्री मनीष अग्रवाल के उपरोक्त आपराधिक कृत्य में साषय सहयोग करते हुये लिफाफे में रिष्वत राषि की जानकारी होते हुये रिष्वत राषि के लिफाफे को आरोपी डा मनीष अग्रवाल के कहे अनुसार खुर्द-बुर्द करने के आषय से ड्रावर से निकालकर श्री गिर्षित अग्रवाल को देकर लिफाफा बाहर फेंकने हेतु कहना, जिस पर श्री गिर्षित अग्रवाल द्वारा लिफाफा को देखे बिना पास के खाली प्लाट में फेंका जाना, जहां से रिष्वत राषि मय लिफाफा बरामद होना पाया गया। आरोपी डाक्टर श्री मनीष अग्रवाल को विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर में परिवादी के साथ रिष्वत मांग सत्यापन एवं रिष्वत लेन-देन के समय की गई वार्ताओं की रिकार्डिग में एक आवाज स्वयं की होना अवगत कराते हुये स्वयं की आवाज का परीक्षण कराने हेतु नमूना आवाज प्राप्ति के लिये नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी डाक्टर श्री मनीष अग्रवाल ने परीक्षण कराने हेतु स्वयं की नमूना आवाज देने से लिखित में इन्कार किया। इस प्रकार आरोपी डा श्री मनीष अग्रवाल का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी को उसके जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री जगत सिंह द्वारा आरोपी डा0 श्री मनीष अग्रवाल के आपराधिक कृत्य में साषय सहयोग करना पाया जाने से आरोपी श्री जगत सिंह का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 का कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी को उसके जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। ट्रैप कार्यवाही में जब्तषुदा आर्टिकल्स धोवन सेम्पलों, बरामदा रिष्वत राषि मय लिफाफा, मोबाईल फोन, डीवीआर आदि को सुरक्षित अवस्था में ट्रेप बाक्स में रखवाया गया। आरोपी डा श्री मनीष अग्रवाल के चेम्बर को उपस्थित श्री देवेन्द्र सैन व श्री गिर्षित अग्रवाल को सुरक्षित अवस्था में सम्भलाया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की श्री हिमांशु शर्मा, वरिष्ठ सहायक से विभागीय पैनासोनिक कैमरे से विडियोग्राफी करवाई गई। आरोपी डा मनीष अग्रवाल के चेम्बर मे लगे सीसीटीवी डीवीआर को पृथक से जरिये फर्द जब्त किया गया। गिरफतारशुदा आरोपीगण को स्वास्थय परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। गिरफतारशुदा आरोपीगण से पूछताछ की गई।इसके पष्चात् दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री मुकेश अग्रवाल के समक्ष डिजीटल वायस रिकार्डर में संरक्षित दिनांक 08.10.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के मध्य मोबाईल फोन पर हुई वार्ता तथा आमने-सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 09.10.2025 को आरोपी डा. मनीष अग्रवाल व परिवादी के मध्य मोबाईल फोन पर हुईवार्ता तथा रिश्वत राशि आदान प्रदान के समय की वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार की जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात कार्यालय से पांच खाली डीवीडी की व्यवस्था की जाकर उन्हें कम्प्यूटर के जरिये खाली होना सुनिश्चित किया गया। दोनों गवाहान एवं परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकार्डर में दर्ज उपरोक्त समस्त वार्ताओं की वायस क्लिपों को कम्प्यूटर में लोड किया गया। इसके पश्चात् उपरोक्त वार्ता की वायस क्लिपों को पांचो खाली डीवीडी में बारी-बारी से डाउनलोड किया गया। सभी डीवीडी को पुनः कम्प्यूटर पर चलाया जाकर सुना गया तो उसमें उपरोक्त वार्ताऐं दर्ज होना पाया गया। इसके बाद एक डीवीडी को एक सफेद कपड़े की थैली में सिलकर सीलमोहर कर मार्क 'A A -1' (न्यायालय प्रति), दूसरी डीवीडी को पृथक

से सफेद कपडे की थैली में सीलकर सीलमोहर कर मार्क 'A A -2' अभियोजन पक्ष तथा इसी प्रकार 2 डीवीडी को पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैली में सीलकर सीलमोहर कर मार्क ' A A-3' एवं मार्क ' A A-4' (मुल्जिम प्रति) एवं पांचवी डीवीडी को अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा जाकर सभी पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क 'SD SD' अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त मैमोरी कार्ड एवं डीवीडी मार्का AA -1' (न्यायालय प्रति), की नियमानुसार एफटीके ईमेजर एप से हैशवैल्यू निकाली जाकर संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्षा एवं हालात मौका मूर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दौराने कार्यवाही की गई विडियो केमरे से विडियो रिकार्डिंग के मेमोरी कार्ड को कैमरे से निकालकर नियमानुसार क्लोन मेमोरी कार्ड प्रति तैयार कर हैशवैल्यू निकालकर मार्का अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर कर फर्द मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। जब्तषुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया।अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी डा. श्री मनीष अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री माणकचन्द अग्रवाल उम्र 53 साल निवासी मकान नम्बर 09, वसुन्धरा कालोनी, टोंक रोड, जयपुर हाल अतिरिक्त प्रिंसीपल, एसएमएस मेडिकल कालेज एवं विभागाध्यक्ष, न्यूरो सर्जरी विभाग, एसएमएस मेडिकल कालेज जयपुर द्वारा परिवादी श्री मुकेष अग्रवाल की फर्म सूर्या डिस्ट्रीब्यूटर्स के बिलो पर साईन करने की एवज में परिवादी से दिनांक 08.10.2025 को रिष्वत मांग सत्यापन के समय 1,00,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ के तौर पर लेने हेतु सहमत होकर उक्त मांग के अनुसरण में आरोपी डा श्री मनीष अग्रवाल द्वारा परिवादी को अपने निवास स्थान पर बुलाकर दिनांक 09.10.2025 को परिवादी से उक्त कार्य की एवज में 1,00,000/- रूपये की रिष्वत राषि प्राप्त कर अपने मकान के चेम्बर की सीट के बांयी तरफ के उपर के ड्रावर में रखना तथा एसीबी टीम के आने पर रिष्वत राषि को खुर्द-बुर्द करने के आषय से आरोपी श्री जगत सिंह से उक्त ड्रावर से रिष्वती राषि युक्त लिफाफा उठवाकर लेकर भागकर जाने हेतु कहना तथा आरोपी श्री जगत सिंह पुत्र स्व0 श्री षिवराम सिंह उम्र 42 साल निवासी एच-667, गांधीनगर, पुलिस थाना बजाजनगर, जयपुर द्वारा आरोपी डा श्री मनीष अग्रवाल के उपरोक्त आपराधिक कृत्य में साषय सहयोग करते हुये लिफाफे में रिष्वत राषि की जानकारी होते हुये रिष्वत राषि के लिफाफे को आरोपी डा मनीष अग्रवाल के कहे अनुसार खुर्द-वुर्द करने के आषय से ड्रावर से निकालकर श्री गिर्षित अग्रवाल को देकर लिफाफा बाहर फेंकने हेतु कहना, जिस पर श्री गिर्षित अग्रवाल द्वारा लिफाफा को देखे बिना पास के खाली प्लाट में फेंका जाना, जहां से रिष्वत राषि मय लिफाफा बरामद होना पाया गया। इस प्रकार आरोपीगण डा श्री मनीष अग्रवाल तथा श्री जगत सिंह का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।अतः आरोपी डा. श्री मनीष अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री माणकचन्द अग्रवाल उम्र 53 साल निवासी मकान नम्बर 09, वसुन्धरा कालोनी, टोंक रोड, जयपुर हाल अतिरिक्त प्रिंसीपल, एसएमएस मेडिकल कालेज एवं विभागाध्यक्ष, न्यूरो सर्जरी विभाग, एसएमएस मेडिकल कालेज जयपुर एवं श्री जगत सिंह पुत्र स्व0 श्री शिवराम सिंह सिंह उम्र 42 साल निवासी एच-667, गांधीनगर, पुलिस थाना बजाजनगर, जयपुर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित की है।(रघुवीर शरण)पुलिस निरीक्षकविशेष अनुसंधान ईकाईभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर...........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1- डा.श्री मनीष अग्रवाल पुत्र स्व.श्री माणकचन्द अग्रवाल उम्र 53 साल निवासी मकान नम्बर 09,वसुन्धरा कालोनी, टोंक रोड, जयपुर हाल अतिरिक्त प्रिंसीपल, एसएमएस मेडिकल कालेज एवंविभागाध्यक्ष, न्यूरो सर्जरी विभाग, एसएमएस मेडिकल कालेज जयपुर एवं2- श्री जगत सिंह पुत्र स्व. श्री शिवराम सिंह उम्र 42 साल निवासी एच-667, गांधीनगर, पुलिसथाना बजाजनगर, जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति)के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महावीर प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.द्वितीय,जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 391 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1517-20 दिनांक 11.10.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-01,जयपुर।2.उप महानिरीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 3. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।,

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MAHAVEER PRASAD SHARMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb Impression of the complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1 0/2025 1 4

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	11/09/1972				
2	Male	1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)